(69)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2674–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 28–7–2016 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) उपखण्ड चॉचौड़ा जिला गुना, प्रकरण कमांक 1/अ–70/2015–16

.....

1–नाथूलाल पिता जालमसिंह
2–जालमसिंह पिता गोपीलाल
3–गंगाबाई पति नाथूलाल
4–जूनाबाई पति जालमसिंह
5–बलराम पिता धनसिंह
समस्त निवासी ग्राम टटूजखेडी तहसील कुम्भराज
जिला गुना म0प्र0

..... आवेदकगण

विरूद्ध

भूलीबाई पत्नी दौला
निवासी ग्राम पटनावारी तहसील कुंभराज
जिला गुना म0प्र0

..... अनावेदिका

.....

श्री रामसेवक शर्मा, अभिभाषक–आवेदकगण

श्री ओ0पी0शर्मा एवं श्री योगेन्द्रसिंह भदौरिया, अभिभाषकगण–अनावेदिका

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 15/2/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) उपखण्ड चॉचौड़ा जिला गुना द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–7–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 2/अ–70/14–15/276 में दिनांक 8–7–16 से संहिता की धारा 250(1) के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी को प्रतिवेदन प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि ग्राम पटनावारी स्थित भूमि सर्वे कमांक 9/4/2 रकबा 2.508 हेक्टेयर की भूमिस्वामी अनावेदिका है, परन्तु उस पर कब्जा आवेदकगण द्वारा कर लिया गया है। उक्त प्रतिवेदन के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 28–7–16 को प्रकरण कमांक 1/अ–70/ 15–16 दर्ज कर दिनांक 28–7–16 को अंतरिम आदेश पारित कर आवेदकगण को सूचना पत्र जारी किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि की अनावेदिका भूमिस्वामी नहीं है इसलिये संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत उसके द्वारा कार्यवाही नहीं की जा सकती है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि में सीमांकन संबंधी विवाद है, इस कारण संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत कार्यवाही करने के पूर्व प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन किया जाना चाहिये ।

4/ अनावेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी का आदेश अंतिम आदेश है जिसके विरूद्ध अपील प्रस्तुत किया जाना चाहिये, निगरानी प्रस्तुत नहीं की जा सकती है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन किया गया है और विक्रय पत्र के अनुसार ही सीमाएं चिंहित की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण के विरूद्ध संहिता की धारा 250 की कार्यवाही सिद्ध पाई गई है ।

प्रतिउत्तर में आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश अंतरिम आदेश होकर अंतिम आदेश नहीं है जिसके विरूद्ध निगरानी ही प्रस्तुत की जायेगी ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश का पालन नहीं होने पर अग्रिम कार्यवाही करने के संबंध में आवेदकगण को मात्र सूचना पत्र जारी किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । आवेदकगण को चाहिये कि वह अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें । इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित आदेश होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) उपखण्ड चॉचौड़ा जिला गुना द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–7–2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर